UPJB010035842026

Presented on : 29-05-2026
Registered on : 29-05-2026
Decided on : 19-06-2026
Duration : 0 years, 0 months, 21 days

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (प्रथम), अमरोहा।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं०-940/2026

सोनू आयु करीब 31 वर्ष पुत्र जयवीर निवासी मंजूरपुरा थाना रजबपुर जिला अमरोहा।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

.....अभियोजक।

मु०अ०सं०-211/2025
धारा-85,115(2),351(2),127(2) बी.एन.एस.
थाना-रजबपुर, जिला-अमरोहा।

19.06.2026-

प्रार्थी/अभियुक्त **सोनू पुत्र जयवीर** निवासी मंजूरपुरा थाना रजबपुर जिला अमरोहा की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र अपराध सं०-211/2025, धारा-85,115(2),351(2),127(2) बी.एन.एस., थाना रजबपुर, जिला अमरोहा में प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादिनी मुकदमा कंचन द्वारा दिनांक 15.08.2025 को संबंधित थाने में अभियुक्तगण के विरुद्ध इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि "प्रार्थनी कंचन पत्नी सोनू पुत्री स्व० नन्हें सिंह निवासी ग्राम मंजूरपुरा थाना रजबपुर जिला अमरोहा कि निवासी है। प्रार्थनी को उसके पति द्वारा सालों से प्रताडीत किया जा रहा है व अप्रकृतिक सम्बन्ध बनाये जा रहे हैं। प्रार्थनी के मना करने पर भी जबरन सम्बन्ध बनाने के लिये प्रताडित किया जाता है व बहुत अधिक मारा पीटा जाता है, कई बार प्रार्थी को जान से मारने कि कोशिश भी की गई व करीबन एक वर्ष पहले प्रार्थनी को कमरे में बन्द करके आग लगाने की कोशिश करता रहता है। उसके डिपार्टमेट में एक लडकी है। उससे शादी करना चाहता है। प्रार्थनी का पति सोनू BSF में RO के पद पर है। उसके ड्यूटी जाने के पश्चात प्रार्थनी का ससुर जयवीर, बहनोइ उपेन्द्र निवासी बुखारपुर दीपू निवासी धनौरा सुभाष नगर के द्वारा उसको जबरन संबंध बनाने के लिए प्रताडित किया जाता है। मना करने पर मारा पीटा व घर से भगा दिया जाता है। प्रार्थनी ने अपने माता पिता की लाज बचाने के लिए इस क्रूरता को किसी नहीं बताया। प्रार्थनी का एक छोटा लगभग 4 वर्ष का बच्चा है। इन लोगो द्वारा बच्चे को मां से छिनकर अलग रखा जाता है। प्रार्थनी जब रक्षाबन्धन को अपने मायके आई तो बच्चे को साथ लेकर आई थी। अगले दिन सुसर जयवीर, बहनोई उपेन्द व देवर दीपू द्वारा घर से उठाकर ले गए। प्रार्थी के पति द्वारा फोन पर बोला गया कि मैंने अपना लडका बुलवा लिया है जो तेरे से हो, कर ले। आप से अनुरोध है कि प्रार्थनी की मददत करे। प्रार्थनी कंचन की सास मुनेश व नन्द पारुल द्वारा भी प्रार्थनी के साथ इन लोगों के साथ मिलकर प्रार्थनी को पकड़कर प्रार्थनी को आग लगाने की कोशिश की जाती है, कई बार कंचन को इन लोगो द्वार बन्धक बनाकर जान से मारने की कोशिश की गई। प्रार्थनी बहुत

Digitally signed by NAZNEEN BANO
Date: 2026.06.19 16:06:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अधिक परेशान है। आज दिनांक 15/08/2025 समय करीब सुबह नौ बजे प्रार्थनी अपने मयके से ससुराल गई थी प्रार्थनी अभी तक ससुराल नहीं पहुंची। फोन करने पर नम्बर बन्द आ रहा है। जिसको हम लेकर आये हैं।"

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी वादिनी का पति है। प्रार्थी ने वादनी से कभी कोई दहेज की माँग नहीं की है तथा न ही कभी कोई दहेज के लिए प्रताड़ित किया है तथा न ही कोई मारपीट की है तथा न ही कभी कोई जान से मारने की धमकी दी है तथा न ही कभी वादनी को कमरे में बंद किया गया है। वादनी द्वारा अपनी तहरीर में दहेज माँगने या दहेज की खातिर प्रताड़ित करने वाली कोई बात नहीं लिखायी है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। वादनी शादी के कुछ समय बाद से ही प्रार्थी के माता-पिता से अलग रहकर शहर में रहने की जिद करने लगी थी। प्रार्थी द्वारा वादनी को काफी समझाया गया परंतु वह सुनवा नहीं हुई। प्रार्थी ने मजबूर होकर अमरोहा शहर में एक प्लांट खरीदा तथा पर्सनल लोन लेकर मकान बना कर वादनी को अपने बच्चे सहित वहाँ पर रखा। वादनी खुले विचारों की महिला है तथा प्रार्थी की गैर मौजूदगी में गैर व्यक्तियों को कमरे पर बुलाने लगी। प्रार्थी द्वारा जब वादनी को समझाने की कोशिश की गयी तब वादिनी ने प्रार्थी से फोन पर काफी झगड़ा किया तथा प्रार्थी से फोन पर कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। प्रार्थी दिनांक 04.04.2024 को अपने ड्यूटी से मकान पर आया तब वादनी प्रार्थी के आने से पूर्व ही मकान का ताला लगा कर अपने मायके चली गयी। प्रार्थी द्वारा वादनी के साथ कभी कोई मारपीट नहीं की गयी तथा न ही कोई दहेज माँगा गया है तथा न ही जान से मारने की धमकी दी गयी है। प्रार्थी को अग्रिम जमानत धनराशि पर रिहा किया जाना न्यायोचित है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त पर धारा- 85,115(2),351(2),127(2) बी.एन.एस. का आरोप है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उपरोक्त अपराध महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर साक्ष्यों का विवेचन नहीं किया जा सकता। उपरोक्त आधारों पर जमानत निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गये तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा को अतिरिक्त दहेज के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, उसके साथ मारपीट कर बंधक बनाकर कमरे में बंद करने एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। उपरोक्त कथित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। उपरोक्त मामले में आरोप पत्र दाखिल है। इस स्थिति में ऐसा कोई पर्याप्त आधार नहीं है जिसके आधार पर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा सके। विधि व्यवस्था **सुशीला अग्रवाल व अन्य बनाम राज्य (NCT of Delhi) (2020) 5 SCC 1** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आरोपपत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् भी प्रस्तुत की जा सकती है।

उपरोक्त विधि व्यवस्था, तथ्यों, परिस्थितियों तथा उभयपक्ष के तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इहालाबाद की विधि व्यवस्था **Neutral Citation No. - 2025:AHC:136034, श्रीमती बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जएवं अन्य एवं सतेन्द्र कुमार अन्तील बनाम सी०बी०आई० एवं अन्य 2022 SCC online SC 825 dated 11.07.2022 में पारित निर्णय** को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये विस्तृत दिशा-निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले में गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **सोनू** का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

यदि अभियुक्त को उक्त अपराध में गिरफ्तार किये जाते हैं, तो प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा 50,000/- रुपये का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि के दो जमानती संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों की अंडरटेकिंग देने पर जमानत पर छोड़ दिया जाएगा-

1. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण शुरू होने पर मामले के विचारण में सहयोग करेंगे तथा अनावश्यक स्थगन प्रस्तुत नहीं करेंगे।
2. प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति या साक्षी को कोई उत्प्रेरणा, धमकी, वचन नहीं देंगे, जिससे कि वह उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय में प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।
3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण, आरोप विरचित करने के दिनांक व कथन अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. के नियत दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे तथा कोई स्थगन प्रस्तुत नहीं करेंगे।
4. प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जायेंगे।
5. प्रार्थी/अभियुक्त इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे।
6. प्रार्थी/अभियुक्त मामले से संबंधित साक्ष्यों से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे

यदि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया या उल्लंघन किया गया तो उसकी अग्रिम जमानत स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

दिनांक-19.06.2026

(नाजनीन बानों))
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय (प्रथम), अमरोहा।